न्यायालय, अपर समाहर्ता,रॉची।

जमाबंदी अपील 01 आर 15/07–08

राजेश उरॉव वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

मो0 हबीबुल्लाह प्रतिवादी

आदेश

23
24.03.2008

यह अपील जमाबंदी रद्द वाद संख्या 01/06–07 टी आर 07/06–07 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर रॉची द्वारा दिनांक 22.6.2006 को पारित आदेश के विरुद्व दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की जमाबंदी प्रतिवादी के नाम कायम करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
भीठा	7	801	
		829	1.18 एकड

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में प्रतिवादी के पूर्वज अब्दुल सत्तार एवं शेख उलफत के नाम दर्ज है जिन्होंने विवादित जमीन अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के पिता को निबंधित बिक्री पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित किया था। उसी समय से अपीलकर्ता दखलकार हुए एवं जमाबंदी भी कायम हुआ। अंचल अधिकारी ने प्रतिवादी के आवेदन के आधार पर बिना स्थल जॉच किये हुए प्रतिवेदन दिया कि विवादित जमीन वर्तमान में किसी के दखल में नहीं है। अगर अंचल अधिकारी द्वारा स्थल जॉच किया गया होता तो निश्चित रुप से यह पता चलता कि विवादित जमीन अपीलकर्ता के दखल में है। अंचल अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 8 जमीन पर कोई दावा नही करते हैं जिसका शपथपत्र भी उसने दिया है। अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जनजातीय समुदाय के सदस्य की स्वीकारोक्ति मान्य नहीं है। अंचल अधिकारी ने जमाबंदी रद्द कर प्रतिवादी के

नाम जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की। उपसमाहर्ता भूमि सुधार सदर रॉची ने अपने आदेश में अपीलकर्ता के नाम कायम जमाबंदी को सुधार कर प्रतिवादी के नाम कायम करने का आदेश पारित किया जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है।

प्रतिवादी इस वाद में नोटिस प्राप्त करने के वाबजूद अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए, अतः वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया एवं लिखित बहस भी दाखिल किया गया जिसमें प्रायः अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख है। लिखित बहस के साथ अपीलकर्ता के दावे के समर्थन में ए आइ आर 1990 कलकत्ता 37, अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 पृष्ठ संख्या 287, निबंधित बिक्री पट्टा की छाया प्रति दाखिल की गयी है। बॅटवारा मुकदमा संख्या 141/07 के आवेदन की छाया प्रति भी दाखिल की गयी है एवं बताया गया है कि अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी संख्या 8 के बीच बॅटवारा मुकदमा लम्बित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि क्रेता बीरु उरॉव के दो पुत्र झरी उरॉव एवं सुकरा उरॉव थे। झरी उरॉव के पुत्र प्रतिवादी संख्या 8 चरण उरॉव हैं तथा सुकरा उरॉव के पुत्र सैमुएल उरॉव थे। सैमुएल उरॉव के पुत्र वर्तमान अपीलकर्ता राजेश एवं राकेश उरॉव हैं। चरण उरॉव की स्वीकारोक्ति के आधार पर जमाबंदी में सुधार का आदेश देना गलत है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रिविजनल खतियान में प्रश्नगत भूमि अब्दुल सत्तार और शेख उल्फत के नाम दर्ज है। पंजी II में वीरु उरॉव का नाम दर्ज था लेकिन भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा मो0 हसीबुल वगैरह के नाम से जमाबंदी सुधार का आदेश दिया गया है। इसका आधार स्थल पर खतियानी रैयतों के वंशजों का कब्जा बताया गया है।

इस रिवीजन वाद में मूल विचारणीय विन्दु भूमि सुधार उपसमाहर्ता का क्षेत्राधिकार है। उनके द्वारा वीरु उरॉव के वंशजों के नाम से कायम जमाबंदी विलोपित करके खतियानी रैयत के वंशजों के नाम से इसे सुधारने का आदेश दिया गया है। उन्हें अपील सुनने का अधिकार बिहार अभिधारी होल्डींग

(अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता को धारा 14 के अधीन अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है।

वर्तमान मामले में भूमि सुधार उपसमाहर्ता रॉची सदर ने अंचल अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध सुनवाई नहीं किया है बल्कि वीरु उरॉव के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द कर दिया है। किसी अधिनियम/परिपत्र में उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतएव रिवीजन वाद स्वीकृत किया जाता है और भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा पारित 22.06.2006 का आदेश निरस्त किया जाता है। रिवीजनकर्ता इस निर्णय को अंचल अधिकारी, रॉची के समक्ष उपस्थापित करेंगे जिन्हें एक सप्ताह के अंदर इस आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांकः— 24.03.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता
रॉची।